न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 27 / 2024

श्री दिपेन्द्रसिंह शेखावत पुत्र सवाई सिंह जी निवासी 3 / 147,148 हाउसिंग बोर्ड टोंक राज0 ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 14.08.2024**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 04.04.2024 को प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:—

1 महोदय जिला टोंक में कितने राशन डीलरों की मृत्यु कोरोना योद्धा के रूप में हुई मानी गई है कृपया विवरण दें।

2 महोदय कोरोना योद्धा के रूप में जिला टोंक में मृतक राशन डीलर को सरकार के किन आदेश / परिपत्र / नियमों के अनुसार कोरोना योद्धा के रूप में परिभाषित किया गया है, ऐसे आदेश / परिपत्र / नियमों की प्रमाणित प्रति के साथ सूचना उपलब्ध कराये।

3 महोदय जिला टोंक में कोरोना योद्धा के रूप में मृतक राशन डीलरों की मृत्यु की दिनांक तथा संक्रमण की दिनांक की जानकारी उपलब्ध करावे।

4 महोदय जिला टोंक में कोरोना योद्धा के रूप में मृतक राशन डीलरों को कोरोना योद्धा के रूप में परिभाषित करने वाले आदेश / परिपत्र / नियमों के निरसर्तकरण कि मय प्रमाणित प्रति सूचना उपलब्ध करावे।

5 महोदय जिला टोंक में राशन डीलरों के कब से कब तक मय दिनांक कोरोना योद्धा माना गया है।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक को पत्र कमांक 855 दिनांक 24.06.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक ने पत्र कमांक 07 दिनांक 08.07.2024 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दूवार सूचनां उनके पत्र कमांक 06 दिनांक 04.072024 से अपीलार्थी को भिजवादी गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)